

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


मुंज 04/17 तारीख रज् 11-1-17

उजवान - नायानासिंह व नाम ल्यारसिंह लगे  
पावटा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

पार्थी को ओर से श्री हंसराम शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। प्रस्तुत शपथपत्र व जमा बन्दी का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 8/17 को पेश हो।

123  
124-125  
12-117

  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करोली)

18-1-17

पार्थी वकील उप। अपार्थी नं. कि फॉल हो जाने की तारीख अपार्थी की रिपोर्ट छे अपार्थी नं. 2,3 व सज्द खलत उप. नडी / 10 सा. मीटिंग में करीबी पछोर छे दिनांक 23-1-17 को पेश हो।

23-1-17

पार्थी वकील उप। अपार्थी नं. 2,3 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती छे फेर कलेक्टर कामर मुखाम अपार्थी नं. दिनांक 31-1-17 को पेश हो।

31-1-17 पार्थी वकील उपस्थित। पार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र अस्तर्गत आदेश 22 के पत्र पेश की। एग संशोधित वादपत्र व कामर मुखाम के नोटिस पेश किये। 10 सा. मीटिंग में पकारे हैं। वास्तु आदेश दिनांक 1-2-17 को पेश हो।

# न्यायालय उप जिला कलक्टर दोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
19.6.18	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक <u>18-7-19</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>अवकाश</i></p>
18.7.19	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक <u>14.8.19</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>अवकाश</i></p>
14.8.19	<p>प्राची वकील उपर/ बहल हेतु समय-चाहा/ वास्ते बहल दिनांक <u>12-9-19</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>अवकाश</i></p>
12.9.19	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी बहल पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक <u>1-10-19</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>अवकाश</i></p>
1-10.19	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी करौली पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक <u>12-10-19</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>अवकाश</i></p>
17.10.19	<p>पत्रावली पेश हुई। प्राची वकील उपस्थित नहीं है। कर्टिया आवाज दिलवाई गई फिर भी प्राची एवं प्राची वकील में से कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः यह प्रार्थना पत्र अट्थार्ड निवेधाना अरु हाजिरी एवं अदम-पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली के सल सुमा नम्बर से कम लोक दवा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।</p> <p style="text-align: right;"><i>अवकाश</i></p>

5  
 6  
 9  
 नि